

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर 2019—भाद्र 28, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2019
सूचना

क्र. एफ ए-3-58-2015-1-पांच-(62).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 3-क की प्रविष्टि क्रमांक 1, 2 एवं 6 को 18%, 28% व 5% से संशोधित कर क्रमशः 23%, 33% एवं 10% किया जाना प्रस्तावित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2019

क्र. एफ ए-3-58-2015-1-पांच (62).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ ए-3-58-2015-1-पांच (62), दिनांक 19 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 19th September 2019

NOTICE

S. No. F A-3-58-2015-1-V-(62).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, proposes to amend Entry No. 1, 2 and 6 of Part III-A of the Schedule II of the said Act from 18%, 28% and 5% to 23%, 33% and 10% respectively.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

781